समाहरणालय, मुंगेर।

(खनन कार्यालय)

आदेश

बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली, 2003) के नियम–7 के अन्तर्गत लघु खनिज भंडारण की अनुज्ञप्ति अधोलिखित क्रशर अनुज्ञप्तिधारी को दी गयी थी, किन्तु ससमय रजामंदी राशि जमा नहीं करने के कारण उन्हें स्मार निर्गत किया गया। इसके बावजूद अनुज्ञप्तिधारी द्वारा न तो बकाया राशि जमा किया गया और न ही खनिज भंडारण का कार्य ही बंद किया गया है।

क्रशर अनुज्ञप्तिधारी मेसर्स शिवालिका स्टोन वर्क्स की पूर्ण विवरणी निम्न है :–

क्रशरधारी का नाम एवं पता	क्रशर स्थल	उच्चतम रजामंदी की राशि	बन्दोवस्ती का वर्ष	किस्त	किस्त की सं0	देय तिथि	जमा राशि	बकाया	कुल बकाया किस्त	अभियुक्ति	
										e.e. No.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मे0 शिवालिका स्टोन वर्क्स, प्रो0–श्री शैलेन्द कुमार, पिता–स्व0 भकोरन साह, मॉ0–वासुदेवपुर पटवन, जिला–मुंगेर	ग्राम– रामपुरकला, प्लॉट नं0– 28, 29, थाना–नया रामनगर, अंचल–जमालपुर	21,00,000	33/2007 from 14-06-07 to 20 years	300000	प्रथम	31.12.07	300000	0	300000	-	300000
					द्वितीय	31.12.08	300000	0			
					तृतीय	31.12.09	300000	0			
					चतुर्थ	31.12.10	300000	0			
					पंचम	31.12.11	0	300000			

उपरोक्त विवरणी के अनुसार बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली, 2003) के अन्तर्गत लघु खनिज भंडारण की अनुज्ञप्ति मे0 शिवालिका स्टोन वर्क्स को दी गयी थी। खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा जनवरी, 2012 से लगातार मासिक विवरणी जमा नहीं किया गया है। दिनांक 31.12.11 को देय पंचम किस्त भी अभी तक जमा नहीं किया गया है जिसके लिए उन्हे इस कार्यालय के ज्ञापांक 170, दिनांक 29.03.12 से नोटिस दिया गया है। साथ ही प्रतिवेदनानुसार उक्त क्रशरधारी द्वारा जुलाई, 2011 से नवम्बर, 2011 का सेल 2000 धनफीट से भी कम परिलक्षित है। पुनः बकाया रिटर्न जमा करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 223, दिनांक 12.04.12 द्वारा स्मार निर्गत किया गया है, किन्तु उनके द्वारा स्मार पर उपस्थित होकर अथवा किसी अन्य तरीके से कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। यह आश्चर्यजनक है कि उनके द्वारा बकाया रिटर्न जमा करने हेतु निर्गत स्मार एवं पंचम किस्त की राशि जमा करने हेतु निर्गत नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया गया है। पुनः पत्रांक 326, दिनांक 21.06.12 द्वारा किस्त के भुगतान का स्मार पत्र दिया गया है एवं पत्रांक 384, दिनांक 17.07.12 द्वारा मासिक विवरणी दाखिल करने का स्मार पत्र दिया गया है, परन्तु क्रशरधारी द्वारा किस्त की राशि का भुगतान नहीं किया गया है और न ही मासिक विवरणी ही दाखिल किया गया है।

पुनः दिनांक 05.10.12 को खनिज विकास पदाधिकारी द्वारा उक्त क्रशर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि उक्त क्रशर ईकाई में धूलकण रोकने का संयंत्र नहीं लगाया गया और न हीं क्रशर तक पक्की सड़क का निर्माण किया गया है। सफाई, जल छिड़काव तथा वृक्षारोपण भी नही किया गया है। प्रदूषण का वर्ष 2010 तक का ही कॉन्सेंट दिया गया है। साथ ही फैक्ट्री लाईसेंस वर्ष 2008 तक का ही प्राप्त किया गया है। उक्त क्रशर स्थल पर निरीक्षण

के दौरान साईनबोर्ड, स्टॉक रजिस्टर तथा परिवहन चालान नहीं पाया गया। उक्त अनुज्ञप्तिधारी द्वारा जनवरी 2012 से अबतक का मासिक विवरणी कार्यालय मे दाखिल नहीं किया गया है।

विदित हो कि बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली, 2003) के नियम 7(1)(h) से 7(1)(k) में प्रावधानित है कि :-

"7. Storage of major mineral and minor mineral beyond lease hold area-

(h) Preference may be given to any person/person in cluster of crushing machines within 8 kms. from the leasehold/mining areas.

(i) The period of stone stockist licence for the use of crusher shall not be more than 20 years with following conditions.

(i) The auction bid/tender amount shall be deposited in yearly basis in equal installments within seven years. Each equal installment shall be deposited before 31st December.

(ii) After payment of installment of auction bid/tender amount or agreed amount up to seven years. renewal of stone stockist licence for the use of crusher shall be made on the deposit of Rs.5000/- every year up to thirteen years.

(iii) The State Government shall issue a guideline from time to time in this regard.

(j) Default in payment of any installment till prescribed date, a 24 percent simple interest shall be charged up to six month and after that action for cancellation of licence shall be taken.

(k) Every stone stockist licence holder for the use of crusher shall maintain a register in form 'G' of this rule."

इससे स्पष्ट होता है कि अनुज्ञप्तिधारी आगे राशि चुकता करने मे अभिरूचि नही रखते है एवं क्रशर संचालन में भी लगातार अनियमितता बरती जा रही है। इस निमित परिलक्षित अनियमितता एवं बिहार खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण निवारण नियमावली, 2003) में उल्लिखित नियमों एवं शर्तो के अक्षरशः अनुपालन नहीं किये जाने के दृष्टिगत तत्काल प्रभाव से अनुज्ञप्ति रद्द की जाती है एवं खजिन विकास पदाधिकारी, मुंगेर को आदेश दिया जाता है कि वसूली हेतु बकाया राशि की गणना कर नीलाम पत्र वाद दायर करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-

समाहर्त्ता, मुंगेर।

ज्ञापांक 711 /खनन, दिनांक 29/12/12

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मुंगेर/ अनुमंडल पदाधिकारी, सदर/जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मुंगेर/जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, मुंगेर खनिज विकास पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, जमालपुर/अंचल अधिकारी, जमालपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : मे0 शिवालिका स्टोन वर्क्स, प्रो0-श्री शैलेन्द्र कुमार, पिता-स्व0 भकोरन शाह, ग्राम-वासुदवेपुर पटवन, जिला-मुंगेर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ।

29/12/12

समाहर्त्ता, मुंगेर।